भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 66**

**08 फरवरी, 2019 के लिए प्रश्न**

**प्राथमिकता वाले राशन कार्डों का रद्द किया जाना**

***66. श्री संजय सिंह:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि परिवारों के प्राथमिकता वाले राशन कार्डों को, इन्हें आधार से नहीं जोड़े जाने के कारण, रद्द कर दिया गया था;

(ख) विगत तीन वर्षों में ऐसे मामलों की और प्राथमिकता वाले राशन कार्डों को रद्द किए जाने के कारण हुई मौतों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा शोक संतप्त परिवार को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा और स्वरूप क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री**

**(श्री राम विलास पासवान)**

**(क) से (ग):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

**राज्य* सभा में दिनांक 08.02.2019 को उत्तयरार्थ तारांकित प्रश्नि संख्या 66 के उत्तहर के भाग (क) से (ग) में उल्लि:खित विवरण।**

**(क) से (ग):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 की धारा 12 में इस अधिनियम के तहत लाभों को उचित तरीके से लक्षित करने के लिए पात्र लाभार्थियों की बायोमेट्रिक सूचना के साथ उनकी विशिष्ट पहचान के लिए "आधार" का लाभ उठाने का प्रावधान है।

इसके अलावा , आधार अधिनियम , 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में इस विभाग ने दिनांक 08.02.201 7 को अधिसूचित किया था कि किसी पात्र लाभार्थी , जिसके पास राज्य/संघ राज्य8 क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी वैध राशन कार्ड है , को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नर प्राप्त करने के लिए आधार नंबर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अथवा आधार प्रमाणन कराना अपेक्षित है। सभी राशन कार्डों के साथ आधार संख्या (परिवार के कम से कम एक सदस्य की) जोड़ने की कार्रवाई पूरी करने की प्रारंभिक समय सीमा दिनांक 30.06.2017 थी। यह समय सीमा समय-समय पर दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ाई गई है।

इस विभाग ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 24.10.2017 को स्पष्ट अनुदेश जारी किए हैं कि किसी भी पात्र लाभार्थी को आधार नंबर न होने/बायोमेट्रिक प्रमाणन असफल रहने/किसी अन्य तकनीकी कारण से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उसकी पात्रता के कोटे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, किसी लाभार्थी/राशन कार्ड धारक के पास केवल आधार नंबर न होने के कारण किसी भी व्यक्ति/परिवार को पात्र परिवारों के डेटाबेस की सूची से हटाया नहीं जाएगा।

सरकार की किसी कल्याणकारी स्कीम के तहत कोई सब्सिडी , लाभ अथवा सेवा प्राप्त करने के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.09.2018 आदेश के बाद इस विभाग के दिनांक 08.11.2018 के अनुदेशों में यह दोहराया गया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी को “आधार नंबर” न होने के आधार पर राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों से वंचित नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा , आधार नंबर के अभाव में प्राथमिकता वाले राशन कार्ड रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप किसी लाभार्थी की मृत्यु होने की किसी घटना की सूचना इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

******